न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 66 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 103

प्रार्थीनी बनाम विप्रार्थीगण

गीतादेवी पत्नि लालचंद जाति पालीवाल निवासी गंगावास तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

1.ओमाराम पुत्र पेमाराम

2.कन्हैयालाल पुत्र पेमाराम

3.कमलादेवी पुत्री पेमाराम

4.प्रभुराम पुत्र पेमाराम

5.मांगीलाल पुत्र पेमाराम

6.लूणाराम पुत्र पेमाराम

7.लीलादेवी पत्नी पेमाराम

8.द्रोपदी पुत्री अशोक कुमार

9.निर्मला पुत्री अशोक कुमार

10.परमेश्वर लाल पुत्र भूराराम

11.बाबुलाल पुत्र भूराराम

12.लीला पुत्री अशोक कुमार

13.हीरादेवी पत्नि अशोक कुमार

14.अणचीदेवी पत्नी छगनलाल

15.कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल

16.गीता पुत्री छगनालाल

17.त्रिलोकचंद पुत्र हीरालाल

18.ताराचंद पुत्र छगनलाल

19.अचलाराम पुत्र वीरमाराम

जाति पालीवाल निवासी गंगावास तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

20.अणदाराम पुत्र वीरमाराम के कायम मुकाम

20 / 1.जेठीदेवी पत्नी अणदाराम

20 / 2.ओमाराम पुत्र अणदाराम

20 / 3. सुनिल पुत्र अणदाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता जेठीदेवी

20 / 4.सीता पुत्री अणदाराम

20 / 5.ममता पुत्री अणदाराम, धर्मपत्नि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

ओमप्रकाश जाति पालीवाल
निवासी चिड़वाई तहसील शेरगढ जिला
जोधपुर
20/6.विमला पुत्री अणदाराम, धर्मपत्नि
जेठाराम जाति पालीवाल निवासी चेराई
तहसील ओसिया जिला जोधपुर
21.खीयाराम पुत्र वीरमाराम
22.गोपीलाल पुत्र वीरमाराम
23.धनाराम पुत्र वीरमाराम
24.पन्नाराम पुत्र वीरमाराम
25.प्रकाश पुत्र किशनाराम
26.राजूराम प किशनाराम
27रामचंद्र पुत्र वीरमाराम
जाति पालीवाल निवासी गंगावास
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा
28.राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार
कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1.श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीनी
2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

आदेश

दिनांक 26/06/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम गंगावास पटवार हल्का गंगावास तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 478 क्षेत्रफल 07.1225 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीनी द्वारा ग्राम गंगावास पटवार हल्का गंगावास तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 478 क्षेत्रफल 07.1225 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम गंगावास पटवार हल्का गंगावास तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 478 क्षेत्रफल 07.1225 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीनी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम गंगावास पटवार हल्का गंगावास तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 478 क्षेत्रफल 07.1225 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम गंगावास पटवार हल्का गंगावास तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 478 क्षेत्रफल 07.1225 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीनी विवादित भूमि की रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसकी प्राथीर्नी प्रथम द्रष्यता हकदार प्रतीत होती है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 09.7.2024 की अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें की हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीनी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गंगावास पटवार हल्का गंगावास तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 478 क्षेत्रफल 07.1225 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है।

(अशोक कुमार) 26/06/25

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

आदेश आज दिनांक 26/06/2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

26/06/25

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा